ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन अॉफ अन्ध्र प्रदेश लिमिटेड

बनाम्

ईक्विपमेंट कंडक्टर्स एवं केबल्स लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या – 9597/2018)

23 अक्टुबर 2018

[ए० के० सीकरी आैर अशोक भूषण, जेजे.]

न्यायालय का निर्णय **ए० के० सीकरी, जे.** द्वारा पारित किया गया ।

1. राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में, 'एनसीएलएटी) का 04 सितंबर, 2018 का आदेश वर्तमान कार्यवाही में चुनौती का विषय है। यह एक संक्षिप्त आदेश है, जिसे यहां संपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है।

> "पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने और दिखाए गए आधारों से संतुष्ट होने के बाद, अपील को प्रास्तुत करने में छह दिन की देरी माफ की जाती है। 2018 के आईए नंबर 973 का निस्तारण किया जाता हैं।
>
> मध्यस्थता और सुलह अधिनियम,1996 की धारा 34 के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए आंशिक डिक्री और प्रतिवादी द्वारा धारा 37 के तहत दिए गए समीक्षा आवेदन को 29 जनवरी 2016 को खारिज कर दिए जाने के मद्देनजर अपीलकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है।
>
> हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यदि अपील की अनुमति दी जाती है और प्रतिवादी – "ट्रांसमिशन कॉर्पोरेट ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड' के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो सरकारी उपक्रम को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, अंतिम अवसर के रूप में हम उत्तरदाताओं को अपीलकर्ता के साथ दावे का निपटान करने का एक अवसर देते हैं, जिसमें विफल रहने पर यह अपीलीय न्यायाधिकरण योग्यता के आधार पर उचित आदेश पारित कर सकता है।
>
> मामले को 'ग्राहपता हेतु' दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 को निर्गत करें। ग्राहपता के चरण में अपील का निपटारा किया जा सकता है।"

2. हालाँकि, प्रथम दृष्टया में, ऐसा प्रतीत होता है कि मामला अभी भी ग्रहण करने के चरण में है और उपरोक्त आदेश एक अंतरिम आदेश है, इसे ध्यान से पढ़ने पर स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि एनसीएलएटी का मानना है कि अपीलकर्ता पर प्रतिवादी का पैसा बकाया है। और इस कारण से अपीलकर्ता को प्रतिवादी के दावे को निपटाने का मौका दिया जाता है, अन्यथा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ('सीआईआरपी' संक्षेप में) शुरू करने का आदेश पारित किया जाएगा। अपीलकर्ता के अनुसार, कोई राशि देय नहीं है और विचाराधीन आदेश अपीलकर्ता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, जिसे कथित दावे का निपटारा करने के लिए कहा गया है, अन्यथा दिवालिया कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। इस स्तर पर यह भी दर्ज किया जा सकता है कि एनसीएलएटी के समक्ष लंबित अपील प्रतिवादी द्वारा दायर की गई है, जो कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ('एनसीएलटी' संक्षेप में), हैदराबाद द्वारा पारित 09 अप्रैल, 2018 के आदेशों के खिलाफ है। उक्त आदेश के द्वारा, एनसीएलटी ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद 'आईबीसी' के रूप में संदर्भित) की धारा 9 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस स्तर पर संक्षेप में कहें तो, एनसीएलटी, विस्तृत विचार–विमर्श के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रतिवादी द्वारा दायर कंपनी याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ जो दावे किए गए थे और जिसके आधार पर प्रतिवादी ने यह दावा करना कि उसे अपीलकर्ता से धन प्राप्त करना है, तर्कसंगत नहीं है और किसी भी मामले में ये विवादित दावे नहीं हैं। यह दावा इस तथ्य पर आधारित है कि प्रतिवादी के ये दावे मध्यस्थता का विषय थे और इन दावों को समयबाधित मानकर खारिज करते हुए निर्णय पारित किया गया था। इसके अलावा, कंपनी की याचिका स्वयं विभिन्न मूलभूत दोषों से ग्रस्त है। उस आधार पर, एनसीएलटी ने माना कि यह एक वैध विवाद है, बल्कि कोई विवाद नहीं है क्योंकि विचाराधीन मुद्दे को विभिन्न अदालतों द्वारा काफी हद तक निपटाया गया था जैसा कि एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश में उल्लिखित है।

3. एनसीएलटी द्वारा पारित उक्त आदेश के विवरण में जाने से पहले कालानुक्रमिक क्रम में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करना उचित होगा, जिनका वर्तमान मामले पर असर पड़ता है।

4. अपीलकर्ता आंध्र प्रदेश सरकार का एक ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन है और आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ('एपीएसईबी' संक्षेप में) का उत्तराधिकारी है और बिजली के ट्रांसमिशन से संबंधित गतिविधियों में है। इसने प्रतिवादी को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए कुछ अनुबंध दिए थे। कुछ विवाद उत्पन्न हुए और प्रतिवादी ने मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की। प्रतिवादी द्वारा हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (इसके बाद 'मध्यस्थ परिषद' के रूप में संदर्भित) के समक्ष 82 दावे दायर किए गए थे। ये कार्यवाही

21 जून, 2010 को दिए गए फैसले में समाप्त हुई। मध्यस्थ परिषद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि चालान संख्या 1–57 के आधार पर किए गए दावे सीमा के कानून द्वारा वर्जित थे और इसलिए, उक्त दावा चालान संख्या 58–82 के संबंध के खिलाफ कोई राशि नहीं दी जा सकती, प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। इन कार्यवाहियों में, हम चालान संख्या 58–82 के संबंध में पुरस्कार से चिंतित नहीं हैं।

5. चालान संख्या 1–57 के संबंध में दावों को समयबाधित मानकर खारिज करने वाले उपरोक्त फैसले के खिलाफ, प्रतिवादी ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ के समक्षमध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन दायर किया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने उक्त आवेदन में 28 अगस्त 2014 को आदेश पारित किया, जिससे मामले को नए निर्णय के लिए मध्यस्थ परिषद को वापस भेज दिया गया। इस आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ता ने चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। इस अपील को उच्च न्यायालय ने 29 जनवरी, 2016 के अपने आदेश द्वारा अनुमति दी थी, जिससे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के मामले को नए सिरे से विचार के लिए मध्यस्थ परिषद को भेजने के निर्देश को रद्द कर दिया गया था।

6. इस स्तर पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि जब अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी, तो प्रतिवादी ने 28 अगस्त, 2014 के आदेश के स्पष्टीकरण/समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया था। हालाँकि, यह आवेदन 27 अगस्त, 2015 को खारिज कर दिया गया था। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि जहां तक पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 29 जनवरी, 2016 के आदेश के अनुसार मामले को मध्यस्थ परिषद में वापस भेजने के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने का सवाल है, अपीलकर्ता ने इसके लिए एक आवेदन दायर किया था। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत उक्त आदेश का स्पष्टीकरण। हालाँकि, उस आवेदन को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

7. प्रतिवादी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित 29 जनवरी, 2016 के फैसले के साथ–साथ मध्यस्थ परिषद द्वारा पारित 21 जून, 2010 के फैसले के निष्पादन के लिए सीपीसी के आदेश XXI नियम 21 के तहत निष्पादन याचिका दायर की। जहां तक मध्यस्थ परिषद के फैसले का सवाल है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, चालान संख्या 58–82 से संबंधित प्रतिवादी के दावे की अनुमति दी गई थी और उसके निष्पादन की मांग की गई थी। हालाँकि, प्रतिवादी ने चालान संख्या 1–57 के संबंध में भी राशि के निष्पादन की मांग करते हुए एक और निष्पादन याचिका दायर की। इस आवेदन पर विचार किया गया और 17 अगस्त, 2016 के आदेश के जरिए दोनों याचिकाओं को एक साथ निपटाने का निर्देश दिया गया। उस आदेश को अपीलकर्ता ने हैदराबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करके चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय ने 08 नवंबर, 2016 के अपने आदेश के तहत उक्त पुनरीक्षण याचिका को यह कहते हुए अनुमति दी कि चालान संख्या 1–57 के दावे के संबंध में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था और इसलिए, प्रतिवादी के लिए निष्पादन की मांग करना स्वीकार्य नहीं था। हैदराबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का प्रासंगिक भाग यहां नीचे दिया गया है:

> "17. उपरोक्त से, एक बार अस्वीकृत दावे का कोई पुन: निर्धारण नहीं होता है, मध्यस्थता न्यायालय–सह–अतिरिक्त जिला न्यायाधीश चंडीगढ़ द्वारा धारा 34 के तहत अनुबंध–1 के आइटम नंबर 1 से 57 के संबंध में दावे की अनुमति देना तो दूर की बात है। समीक्षा के लिए 2010 के मध्यस्थता मामले संख्या 361 में अधिनियम भी बर्खास्तगी और अपील में समाप्त हो गया, केवल मध्यस्थता अदालत द्वारा निर्धारण के लिए रिमांड के बजाय व्यावहारिक रूप से निर्देश देने में रिमांड की सीमा तक अलग रखा गया। एक बार जब इसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है और कोई दृढ़ संकल्प नहीं होता है, तो अधिनियम की धारा 36 के तहत लागू करने के अलावा निष्पादन के लिए कोई अंतिम पुरस्कार नहीं होता है।
>
> 18. एक बार ऐसा मामला होने पर, जहां तक आइटम नंबर 1 से 57 का संबंध है, एपीट्रानस्को द्वारा किसी भी प्रवर्तनीय पुरस्कार के लिए अस्थिर के रूप में नंबरिंग के लिए निष्पादन न्यायालय के समक्ष दायर की गई आपत्ति, और निष्पादन न्यायालय के समक्ष, यहां तक कि एपीट्रानस्को द्वारा आपत्तियां भी दायर की गईं। निष्पादन न्यायालय ने चर्चा नहीं की और यहां तक कि प्रस्तुतियों को भी नजरअंदाज कर दिया, केवल ऊपर दिए गए आक्षेपित आदेश से केवल निष्पादन याचिका पर विचार किया और आदेश पारित करने में केवल डी.एच.आर. की प्रस्तुतियों पर विचार किया, जो कि न्यायिक निर्णय नहीं होने के कारण अनावश्यक है। कानून की नजर में आदेश पारित करना और इस प्रकार यह टिकाऊ नहीं है और इस न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के खिलाफ बैठने और खारिज करने की संभावना है।
>
> 19. उपरोक्त से यह स्पष्ट हो गया है कि मध्यस्थता कार्यवाही से मध्यस्थता अधिनियम कीधा रा 36 के तहत निष्पादित करने के लिए कोई प्रवर्तनीय पुरस्कार नहीं है, जहां तक आइटम 1 से 57 तक के दावे का संबंध है, जिसके लिए मध्यस्थ ने दावे को वर्जित रखा है। कानून द्वारा और 2010 के एसी संख्या 361 में आपत्ति करने वाले न्यायालय–सह–मध्यस्थता न्यायालय ने भी कानून द्वारा वर्जित नहीं माना, निर्धारित नहीं किया, लेकिन इस संबंध में फिर से निर्धारित करने के लिए रिमांड पर लिया और समीक्षा में भी इस पर सवाल उठाया गया, समीक्षा याचिका खारिज कर दिया गया था

और दूसरे पक्ष से जब सवाल किया गया कि उच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि क्षेत्राधिकार की कमी के कारण रिमांड सही नहीं है, जिससे व्यावहारिक रूप से पुन: निर्धारण होता है और एक बार जब यह पुन: निर्धारित नहीं होता है, तो कोई पुरस्कार नहीं होता है और जब कोई पुरस्कार नहीं होता है , निष्पादन का कोई सवाल नहीं है और जहां निष्पादन का कोई सवाल नहीं है, वहां बिना संख्या वाले ईपी पर विचार करने का तो सवाल ही नहीं है, समान संख्या देने के लिए या यहां तक कि किसी भी परिणामी प्रो–ऑर्डर को पारित करने का भी सवाल नहीं है जो संशोधन में लगाए गए हैं।"

8. जब चीजें यहीं रुक गईं, तो प्रतिवादी ने दिवाला और दिवालियापन (एएए) नियम, 2016 के नियम 6 के साथ पठित आईबीसी, 2016 की धारा 9 के तहत एक कंपनी याचिका के माध्यम से एनसीएलटी से संपर्क किया। इस याचिका में, प्रतिवादी ने कहा कि इसने आईबीसी के प्रावधानों के तहत अपीलकर्ता को 14 अक्टूबर, 2017 को मांग नोटिस दिया था, जिससे रुपये की राशि का दावा किया गया था। 45,69,31,233/– जिसका भुगतान अपीलकर्ता द्वारा नहीं किया गया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस याचिका को एनसीएलटी ने अपने आदेश दिनांक 09 अप्रैल, 2018 द्वारा खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ, प्रतिवादी ने एनसीएलएटी के समक्ष अपील दायर की है जिसमें 04 सितंबर, 2018 के आदेश पारित किए गए हैं।

9.धारा 9 ऐसे ऋणदाता द्वारा दायर आवेदन के आधार पर परिचालन ऋणदाता द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का प्रावधान करती है। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ कहा गया है कि जब भी कोई नोटिस, आईबीसी की धारा 8 की उप–धारा (1) के तहत नोटिस या चालान के अनुसार भुगतान की मांग करता है और परिचालन ऋणदाता को समाप्ति के बाद कॉर्पोरेट देनदार से भुगतान प्राप्त नहीं होता है। भुगतान की मांग करने वाले ऐसे नोटिस या चालान की डिलीवरी की तारीख से 10 दिनों की अवधि में परिचालन ऋणदाता सीआईआरपी शुरू करने के लिए निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक दायित्व दायर कर सकता है। धारा 8 दिवाला समाधान से संबंधित है। इसकी उप–धारा (1) में कहा गया है कि एक परिचालन ऋणदाता, किसी डिफ़ॉल्ट की घटना पर, कॉर्पोरेट देनदार को डिफ़ॉल्ट में शामिल राशि के भुगतान की मांग करते हुए एक चालान की कॉपी के बिना भुगतान किए गए परिचालन देनदार की मांग नोटिस दे सकता है और जैसा निर्धारित किया जा सकता है। उप–धारा (2) कॉर्पोरेट देनदार पर यह दायित्व डालती है कि वह उक्त मांग नोटिस या चालान की प्रति का जवाब उसकी प्राप्ति के 10 दिनों की अवधि के भीतर यह कहकर दे कि उक्त मांग के संबंध में विवाद पार्टियों के बीच मौजूद है या पुनर्भुगतान करके। अवैतनिक परिचालन ऋण और परिचालन ऋणदाता को उसका प्रमाण भेजना।

10. पूर्वोक्त से, यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्विवाद ऋण का अस्तित्व सीआईआरपी शुरू करने की अनिवार्य शर्त है। इससे यह भी पता चलता है कि निर्णायक प्राधिकारी स्वयं को संतुष्ट करेगा कि देय ऋण है और परिचालन ऋण है और कॉर्पोरेट देनदार ने इसे चुकाया नहीं है। स्पष्टता के उद्देश्य से, धारा 9 को उसकी संपूर्णता में पुन: प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा।

"9. परिचालन ऋणदाता द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन।—(1) धारा 8 की उपधारा (1) के तहत भुगतान की मांग करने वाले नोटिस या चालान की डिलीवरी की तारीख से दस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद, यदि परिचालन ऋणदाता को कॉर्पोरेट देनदार से भुगतान नहीं मिलता है या धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत विवाद की सूचना नहीं मिलती है, तो परिचालन ऋणदाता कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत आवेदन ऐसे प्रारूप और तरीके से और ऐसी फीस के साथ दायर किया जाएगा जो निर्धारित किया जा सकता है।

(3) परिचालन ऋणदाता, आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा-

(ए) कॉर्पोरेट देनदार को परिचालन ऋणदाता द्वारा वितरित भुगतान या मांग नोटिस की मांग वाले चालान की एक प्रति;

(बी) इस आशय का एक हलफनामा कि अवैतनिक परिचालन ऋण के विवाद के संबंध में कॉर्पोरेट देनदार द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है;

(सी) परिचालन ऋणदाता के खातों को बनाए रखने वाले वित्तीय संस्थानों से प्रमाण पत्र की एक प्रति जो पुष्टि करती है कि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं किया गया है और

(डी) ऐसी अन्य जानकारी जो निर्दिष्ट की जा सकती है।

(4) इस धारा के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने वाला एक परिचालन ऋणदाता, अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए एक समाधान पेशेवर का प्रस्ताव कर सकता है।

(5) निर्णायक प्राधिकारी, उप–धारा (2) के तहत आवेदन की प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर, एक आदेश द्वारा–

(i) आवेदन स्वीकार करें और ऐसे निर्णय की सूचना परिचालन ऋणदाता और कॉर्पोरेट देनदार को दें, यदि, –

(ए) उप–धारा (2) के तहत किया गया आवेदन पूरा हो गया है;

(बी) अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई पुनर्भुगतान नहीं है;

(सी) कॉर्पोरेट देनदार को भुगतान के लिए चालान या नोटिस परिचालन ऋणदाता द्वारा वितरित किया गया है;

(डी) परिचालन ऋणदाता को विवाद की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है या सूचना उपयोगिता में विवाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है; और

(ई) उप–धारा (4) के तहत प्रस्तावित किसी भी समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है;

(ii) आवेदन को अस्वीकार कर देगा और ऐसे निर्णय की सूचना परिचालन ऋणदाता और कॉर्पोरेट देनदार को देगा, यदि–

(ए) उप–धारा (2) के तहत किया गया आवेदन अधूरा है;

(बी) अवैतनिक परिचालन ऋण का पुनर्भुगतान हो गया है;

(सी) लेनदार ने कॉर्पोरेट देनदार को भुगतान के लिए चालान या नोटिस नहीं दिया है;

(डी) विवाद की सूचना परिचालन ऋणदाता को प्राप्त हुई है या सूचना उपयोगिता में विवाद का रिकॉर्ड है; या

(ई) किसी भी प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है:

बशर्ते कि निर्णायक प्राधिकारी, खंड के उप–खंड (ए) के तहत एक आवेदन को खारिज करने से पहले (ii) निर्णय प्राधिकारी से ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर आवेदक को उसके आवेदन में त्रुटि को ठीक करने के लिए एक नोटिस दें।

(6) कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया इस धारा की उपधारा (5) के तहत आवेदन स्वीकार होने की तारीख से शुरू होगी।"

11. उपधारा (5) का खंड (ii) उन परिस्थितियों को निर्धारित करता है जिनके तहत परिचालन ऋणदाता द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। इसका उप–खंड (डी) उस स्थिति को निर्धारित करता है जहां कॉर्पोरेट देनदार द्वारा परिचालन ऋणदाता को विवाद की सूचना भेजी जाती है।

12. यहां, मामला मध्यस्थ परिषद के समक्ष उठाया गया था जहां तक चालान संख्या 1–53 के तहत दावे का संबंध है, इसे मध्यस्थ परिषद द्वारा विशेष रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह समय बाधित हो गया था। प्रतिवादी ने मध्यस्थ परिषद के फैसले के उक्त हिस्से को चुनौती दी, लेकिन सफल नहीं रहा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 29 जनवरी, 2016 के अपने फैसले में की गई कुछ टिप्पणियों के आधार पर, प्रतिवादी ने सिविल कोर्ट, हैदराबाद के समक्ष निष्पादन याचिका दायर करके राशि की वसूली करने का प्रयास किया। हालाँकि, प्रतिवादी का वह प्रयास भी असफल रहा क्योंकि हैदराबाद के उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि चूँकि वह विशेष राशि पुरस्कार के तहत देय नहीं थी, इसलिए निष्पादन कायम रखने योग्य नहीं था। उपरोक्त तरीके से राशि वसूलने में विफल रहने के बाद, प्रतिवादी ने खुद को परिचालन ऋणदाता और अपीलकर्ता को कॉर्पोरेट देनदार मानते हुए आईबीसी की धारा 8 के तहत अपीलकर्ता को नोटिस जारी किया। अपीलकर्ता ने विशेष रूप से इस दावे का खंडन किया। इसके बावजूद, एनसीएलटी, हैदराबाद के समक्ष धारा 9 के तहत आवेदन दायर किया गया था, जिसे 09 अप्रैल, 2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। यह उक्त आदेश के खिलाफ अपील में है, एनसीएलएटी ने अब विवादित आदेश पारित कर दिया है।

13. एनसीएलएटी ने मामले की खूबियों पर चर्चा नहीं की है और यह भी नहीं बताया है कि उपरोक्त घटनाओं के बावजूद प्रतिवादी को राशि कैसे देय है, जिसे एनसीएलटी ने भी नोट किया था। इसके बावजूद, इसने अपीलकर्ता को 'अपीलकर्ता (यहां प्रतिवादी) के साथ दावे को निपटाने का एक मौका देकर धमकी दी है, जिसमें विफल रहने पर यह अपीलीय न्यायाधिकरण योग्यता के आधार पर उचित आदेश पारित कर सकता है। 'यह भी कहा गया है कि हालांकि मामले को अगली तारीख पर प्रवेश के लिए पोस्ट किया गया है, अपील का निपटारा प्रवेश के चरण में ही किया जाएगा। उपरोक्त आदेश में एक स्पष्ट संदेश है जिसमें अपीलकर्ता को प्रतिवादी को राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा अपीलकर्ता के खिलाफ सीआईआरपी शुरू की जाएगी।

14. इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा पेश किया गया एकमात्र तर्क यह था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित रिमांड आदेश को रद्द करते हुए यह नहीं माना कि चालान संख्या 1–57 समय बाधित हैं। इसलिए, प्रतिवादी के पास उन चालानों के तहत वैध दावा था।इस तर्क को झुठलाया नहीं जा सकता। आज तक, क्रमांक पर चालान के संबंध में मध्यस्थ परिषद का कोई निर्णय नहीं आया है। संख्या 1–57 इन चालानों के संबंध में किसी अन्य न्यायालय का भी कोई आदेश नहीं है।वास्तव में, मध्यस्थता परिषद ने विशेष रूप से प्रतिवादी के दावे को समयबाधित बताकर खारिज कर दिया। यह उल्लेख करना उचित है कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि के निर्धारण के लिए मध्यस्थ परिषद के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। हालाँकि, इस आवेदन को विशेष रूप से मध्यस्थता परिषद द्वारा खारिज कर दिया गया था क्योंकि यह रखरखाव योग्य नहीं था।

15. इस न्यायालय के हालिया फैसले में ***मोबिलॉक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड*** बनाम ***किरूसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड 1,*** में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आईबीसी का उद्देश्य रिकवरी फोरम का विकल्प नहीं है। यह भी निर्धारित किया गया है कि जब भी वास्तविक विवाद मौजूद हो, तो आईबीसी प्रावधान 1 (2018) 1 एससीसी 353 लागू नहीं किया जा सकता है। हम उक्त निर्णय से निम्नलिखित चर्चा को पुन: प्रस्तुत करना चाहेंगे:

> "33. संहिता की धारा 8 और 9 के तहत योजना यह प्रतीत होती है कि एक परिचालन ऋणदाता, जैसा कि परिभाषित है, किसी डिफ़ॉल्ट की घटना पर (यानी ऋण का भुगतान न करने पर, जिसका कोई भी हिस्सा देय हो गया हो) और देय है और चुकाया नहीं गया है), ऐसे अवैतनिक परिचालन ऋण की मांग नोटिस वितरित करें या दिवालियापन और दिवालियापन (निर्णय के लिए आवेदन) के नियम 5 में निर्धारित फॉर्म में कॉर्पोरेट देनदार को ऐसी राशि के भुगतान की मांग करने वाले चालान की प्रति वितरित करें प्राधिकरण) नियम, 2016 को फॉर्म 3 या 4 के साथ पढ़ें, जैसा भी मामला हो [धारा 8(1)]। ऐसे मांग नोटिस या चालान की प्रति प्राप्त होने के 10 दिनों की अवधि के भीतर, कॉर्पोरेट देनदार को लाना होगा किसी विवाद के अस्तित्व और/या ऐसे विवाद के संबंध में ऐसे नोटिस या चालान की प्राप्ति से पहले दायर किए गए मुकदमे या मध्यस्थता कार्यवाही की लंबितता का रिकॉर्ड परिचालन लेनदार की सूचना [धारा 8(2)(ए)] । क्या महत्वपूर्ण बात यह है कि विवाद और/या मुकदमे या मध्यस्थता कार्यवाही का अस्तित्व पहले से मौजूद होना चाहिए यानी यह मांग नोटिस या चालान की प्राप्ति से पहले मौजूद होना चाहिए, जैसा भी मामला हो। यदि अवैतनिक

परिचालन ऋण चुका दिया गया है, तो कॉर्पोरेट देनदार स्वयं 10 दिनों की अवधि के भीतर कॉर्पोरेट देनदार के बैंक खाते से अवैतनिक राशि के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के रिकॉर्ड की एक प्रमाणित प्रति भेजेगा या भेजेगा। रिकॉर्ड की सत्यापित प्रतिलिपि कि परिचालन ऋणदाता ने चेक भुना लिया है या अन्यथा कॉर्पोरेट देनदार से भुगतान प्राप्त कर लिया है [धारा 8(2)(बी)]। ऐसा तभी होता है, जब उक्त 10 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद, परिचालन ऋणदाता को कॉर्पोरेट देनदार से भुगतान या विवाद की सूचना नहीं मिलती है, तो परिचालन ऋणदाता न्यायनिर्णयन के समक्ष एक आवेदन दायर करके दिवाला प्रक्रिया शुरू कर सकता है। धारा 9(1) और 9(2) के तहत अधिकार। यह आवेदन इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (एडज्यूडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए आवेदन) नियम, 2016 के नियम 6 के तहत फॉर्म 5 में, उक्त फॉर्म के तहत आवश्यक दस्तावेजों और रिकॉर्ड के साथ दाखिल किया जाना है। नियम 6 (2) के तहत, आवेदक को आवेदन की एक प्रति पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय को भेजनी होगी। धारा 9 (3) के तहत, आवेदन के साथ, वैधानिंक आवश्यकता चालान या मा ग नोटिस की एक प्रति, इस आशय का एक हलफनामा प्रस्तुत करना है कि अवैतनिक परिचालन के विवाद से संबंधित कॉर्पोरेट देनदार द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है। ऋण और परिचालन ऋणदाता के खातों को बनाए रखने वाले वित्तीय संस्थान से प्रमाण पत्र की एक प्रति यह पुष्टि करती है कि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं किया गया है। इस जानकारी के अलावा फॉर्म 5 के तहत जरूरी अन्य जानकारी भी देनी होगी एक बार यह हो जाने के बाद, निर्णायक प्राधिकारी या तो आवेदन स्वीकार कर सकता है या इसे अस्वीकार कर सकता है। यदि उप–धारा (2) के तहत किया गया आवेदन अधूरा है, तो निर्णायक प्राधिकारी, उप–धारा (5) के प्रावधान के तहत, आवेदक को नोटिस प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दोषों को सुधारने के लिए नोटिस दे सकता है। आवेदन को पूरा करने के लिए निर्णायक प्राधिकारी। एक बार जब यह हो जाता है, और निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को पता चलता है कि या तो चालान के बाद अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई पुनर्भुगतान नहीं हुआ है [धारा 9(5)(i)(बी)] या चालान या कॉर्पोरेट देनदार को भुगतान का नोटिस दिया गया है परिचालन ऋणदाता द्वारा वितरित [धारा 9(5)(i)(सी)], या कि परिचालन ऋणदाता को कॉर्पोरेट देनदार से विवाद की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है या सूचना उपयोगिता में ऐसे विवाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है [धारा 9(5)(i)(डी)], या कि परिचालन ऋणदाता द्वारा प्रस्तावित किसी भी समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है [धारा 9(5)(i)(e)], यह आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर आवेदन को स्वीकार करेगा, जिसके बाद कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

शुरू हो जाएगी। दूसरी ओर, यदि आवेदन अधूरा है और परंतुक द्वारा दी गई 7 दिनों की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया गया है, तो निर्णायक प्राधिकारी परिचालन ऋणदाता द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर देगा। [धारा 9] (5)(ii)(ए)].यह उस आवेदन को भी अस्वीकार कर सकता है जहां परिचालन ऋण का पुनर्भुगतान किया गया है [धारा 9(5)(ii)(बी)], या लेनदार ने कॉर्पोरेट देनदार को भुगतान के लिए चालान या नोटिस नहीं दिया है [धारा 9(5))(ii)(सी)].यदि विवाद की सूचना परिचालन ऋणदाता को प्राप्त हो गई है या सूचना उपयोगिता में विवाद का रिकॉर्ड है [धारा 9(5)(ii)(डी)] तो यह आवेदन को अस्वीकार भी कर सकता है।धारा 9(5)(ii)(डी)एक मौजूदा विवाद की सूचना को संदर्भित करता है जो प्राप्त हुई है, क्योंकि इसे धारा 8(2)(ए)के साथ पढ़ा जाना चाहिए । इसके अलावा, यदि किसी प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है, तो आवेदन खारिज किया जा सकता है [धारा 9(5)(ii)(ई)]।

34. इसलिए, अधिनियम की धारा 9 के तहत किसी आवेदन की जांच करते समय निर्णायक प्राधिकारी को यह निर्धारित करना होगा:

(i) क्या परिभाषा के अनुसार 1 लाख रुपये से अधिक का कोई "परिचालन ऋण" है? (अधिनियम की धारा 4 देखें)

(ii) क्या आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से पता चलता है कि उपरोक्त ऋण देय और देय है और अभी तक भुगतान नहीं किया गया है? और

(iii) क्या ऐसे विवाद के संबंध में अवैतनिक परिचालन ऋण की मांग नोटिस की प्राप्ति से पहले दायर किए गए किसी मुकदमे या मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित होने का रिकॉर्ड पार्टियों के बीच मौजूद है?

यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी एक की भी कमी है, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। उपरोक्त के अलावा, निर्णायक प्राधिकारी को धारा 9 के आदेश का पालन करना चाहिए , जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, और विशेष रूप से अधिनियम की धारा 9(5) के आदेश का पालन करना चाहिए, और आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए, जैसा भी मामला हो, निर्भर करता है। अधिनियम की धारा 9(5) में उल्लिखित कारक ।

xx xx xx

37. अब संहिता की धारा 8 का अर्थ समझना महत्वपूर्ण है। परिचालन ऋणदाता वे ऋणदाता होते हैं जिन पर परिचालन ऋण बकाया होता है, और बदले में परिचालन ऋण का मतलब रोजगार सहित वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में दावा, या किसी के तहत उत्पन्न होने वाले बकाया के पुनर्भुगतान के संबंध में ऋण होता है। कानून फिलहाल लागू है और सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को देय है। इसकी तुलना उन वित्तीय ऋणों से की जानी चाहिए जो वित्तीय ऋणदाताओं पर बकाया हो सकते हैं, जो *इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड* बनाम *आईसीआईसीआई बैंक* (सिविल अपील नंबर 8337–38 वर्ष 2017) में 31–8–2017 को इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का विषय था। इस फैसले में, हमने माना था कि संहिता की धारा 7 के तहत निर्णायक प्राधिकारी को सूचना उपयोगिता के रिकॉर्ड से या 14 दिनों के भीतर वित्तीय ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर डिफ़ॉल्ट के अस्तित्व का पता लगाना होगा। कॉर्पोरेट ऋणी को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को यह बताने का अधिकार है कि कोई चूक नहीं हुई है; इस अर्थ में कि एक ऋण, जिसमें एक विवादित दावा भी शामिल हो सकता है, देय नहीं है यानी यह कानून में या वास्तव में देय नहीं है। इस न्यायालय ने तब कहा: (एससीसी पृष्ठ 440, पैरा 29–30)

"29. धारा 7 की योजना धारा 8 के तहत योजना के विपरीत है, जहां एक परिचालन ऋणदाता को डिफ़ॉल्ट होने पर, पहले धारा 8(1) में दिए गए तरीके से परिचालन देनदार को अवैतनिक ऋण की मांग नोटिस देना होता है।) संहिता का. धारा 8(2) के तहत, कॉर्पोरेट देनदार, मांग नोटिस या उप–धारा (1) में उल्लिखित चालान की प्रति प्राप्त होने के 10 दिनों की अवधि के भीतर, परिचालन ऋणदाता के ध्यान में ला सकता है। विवाद या किसी मुकदमे या मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित होने का रिकॉर्ड, जो पहले से मौजूद है – यानी कॉर्पोरेट देनदार द्वारा ऐसा नोटिस या चालान प्राप्त होने से पहले। जैसे ही ऐसा कोई विवाद अस्तित्व में आता है, परिचालन ऋणदाता संहिता के चंगुल से बाहर हो जाता है।

30. दूसरी ओर, जैसा कि हमने देखा है, एक कॉर्पोरेट देनदार के मामले में जो वित्तीय ऋण का डिफ़ॉल्ट करता है, निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को केवल वित्तीय ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत सूचना उपयोगिता या अन्य साक्ष्य के रिकॉर्ड को देखना होता है स्वयं को संतुष्ट करें कि कोई चूक हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऋण तब तक विवादित है जब तक ऋण "देय" है अर्थात देय है जब तक कि किसी कानून द्वारा उस पर रोक नहीं लगाई जाती है या अभी तक इस अर्थ में देय नहीं हुआ है कि यह किसी भविष्य की तारीख में देय है।यह केवल तभी होता है जब यह न्यायनिर्णयन

प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए साबित हो जाता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी किसी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, अन्यथा नहीं।"

42. यह मामला होने पर, क्या निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के लिए यह खुला नहीं है कि वह इस बात पर विचार करे कि कोई विवाद मौजूद है या नहीं?

43. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संहिता की ग्यारहवीं अनुसूची के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 255 ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271 में संशोधन किया है ताकि एक कंपनी अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हो, अब कंपनी को बंद करने का आधार नहीं है। इसलिए, कंपनी अधिनियम की धारा 271 में इस आधार के गायब होने के साथ *मधुसूदन* में निहित पुराना कानून गायब हो गया है।

44. हमने पहले ही देखा है कि पहले दिवाला और दिवालियापन विधेयक, 2015 में, जिसे दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट के साथ जोड़ा गया था, धारा 5(4) में "विवाद" को "सच्चाईपूर्ण मुकदमा या मध्यस्थता कार्यवाही ..." के रूप में परिभाषित किया गया है। पने वर्तमान अवतार में, धारा 5(6)"सच्चाई" अभिव्यक्ति को बाहर करती है जो महत्वपूर्ण है। इसलिए, यह तय करने के लिए कि कोई विवाद मौजूद है या नहीं, धारा 8(2)(ए) में "सच्चाई" अभिव्यक्ति को आयात करना मुश्किल है।

45. अभिव्यक्ति "अस्तित्व" को इस प्रकार समझा गया है:

" *शॉर्टर ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी* " **अस्तित्व** "शब्द का निम्नलिखित अर्थ देता है:

(ए) वास्तविकता, विपरीत के रूप में। दिखावे के लिए.

(बी) मौजूदा तथ्य या स्थिति; होने का वास्तविक कब्ज़ा। एक जीवित प्राणी, जीवन, विशेष रूप से बने रहना प्रतिकूल परिस्थितियों में.

कुछ ऐसा जो अस्तित्व में है; एक इकाई, एक अस्तित्व. वह सब मौजूद है.(पी. 894, *ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी*)"

xx xx xx

51. इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक बार जब परिचालन ऋणदाता ने एक आवेदन दायर किया है, जो अन्यथा पूर्ण है, तो विवाद की सूचना प्राप्त होने पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को धारा 9(5)(2)(डी)

के तहत आवेदन को अस्वीकार कर देना चाहिए। परिचालन ऋणदाता या सूचना उपयोगिता में विवाद का रिकॉर्ड है। यह स्पष्ट है कि इस तरह के नोटिस को परिचालन ऋणदाता के ध्यान में किसी विवाद के "अस्तित्व" या इस तथ्य को लाना चाहिए कि विवाद से संबंधित एक मुकदमा या मध्यस्थता कार्यवाही पार्टियों के बीच लंबित है। इसलिए, निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को इस स्तर पर यह देखना है कि क्या कोई प्रशंसनीय विवाद है जिसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता है और यह कि "विवाद" स्पष्ट रूप से कमजोर कानूनी तर्क या साक्ष्य द्वारा असमर्थित तथ्य का दावा नहीं है। अनाज को भूसी से अलग करना और नकली बचाव को अस्वीकार करना महत्वपूर्ण है जो महज दिखावा है। हालाँकि, ऐसा करने में, न्यायालय को संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि बचाव सफल होने की संभावना है। न्यायालय इस स्तर पर ऊपर बताई गई सीमा को छोड़कर विवाद के गुण–दोष की जांच नहीं करता है। जब तक कोई विवाद वास्तव में मौजूद है और नकली, काल्पनिक या भ्रामक नहीं है, तब तक निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को आवेदन को अस्वीकार करना होगा।" उपरोक्त सिद्धांत वर्तमान मामले पर पूरी तरह लागू होता है।

16. परिणामस्वरूप, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और एनसीएलएटी द्वारा पारित दिनांक 04 सितंबर, 2018 के आदेश को रद्द कर देते हैं। सामान्य तौर पर, एनसीएलएटी के समक्ष दायर प्रतिवादी की अपील पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए मामले को एनसीएलएटी को वापस भेज दिया जाना चाहिए था। हालाँकि, चूँकि यह न्यायालय गुण–दोष पर गया है और पाया है कि एनसीएलटी का आदेश उचित है, मामले को एनसीएलएटी को वापस भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसका परिणाम 2018 की कंपनी अपील (80) (दिवाला) संख्या 366 और एनसीएलएटी के समक्ष प्रतिवादी द्वारा दायर विविध आवेदनों को खारिज करना होगा। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

अपील स्वीकृत

शिवम चौरसिया,
सिविल जज (वरिय कोटी) सप्तम्–सह–न्यायिक दण्डाधिकारी,
धनबाद।